By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. HK/5/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I Date: 16/05/2018

To

1. The Secretary,
Department of Power,
Govt. of NCT of Delhi,
8th Floor, B, wing,
Delhi Secretariat, I. P. Estate,
New Delhi – 110002.

2. The Chairman,
Delhi Transco Ltd.,
Govt. of NCT Delhi,
Shakti Sadan, Kotla Marg,
New Delhi-110002.

Sub: Representation dated 14/12/2017 received from Shri Hemant Kumar, R/o Flat No. 247, Sanskriti Apartments, Sector-19-B, Dwarka, New Delhi-110075 regarding discrimination of ST candidate under ST category post in Delhi Transco Ltd.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on 03/05/2018 at 12:30 P.M. under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Hemant Kumar,
R/o Flat No. 247,
Sanskriti Apartments,
Sector-19-B, Dwarka,
New Delhi-110075.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. - HK/5/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों का वि-आरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में श्री हेमंत कुमार, सहायक प्रबंधक, दिल्ली ट्रांस्को लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2018 को आयोग में संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 03.05.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री हेमंत कुमार, सहायक प्रबंधक, दिल्ली ट्रांस्को लि. ने दिनांक 14.12.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों का वि-आरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया.
2. आयोग ने इस मामले में विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में प्राप्त जवाब से अभ्यावेदक संतुष्ट नही हुए.
3. इस मामले में अभ्यावेदक द्वारा पुनः निवेदन किये जाने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 12.04.2018 को एक नोटिस भेजकर सचिव, पावर विभाग दिल्ली सरकार तथा अध्यक्ष दिल्ली ट्रांस्कोलि. को दिनांक 03.05.2018 को आयोग में चर्चा के लिए बुलाया.
4. दिनांक 03.05.2018 को आयोग में चर्चा के लिए सचिव, पावर विभाग दिल्ली सरकार के स्थान पर विशेष सचिव उपस्थित हुए तथा अध्यक्ष दिल्ली ट्रांस्को लि. के स्थान पर महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन, दिल्ली ट्रांस्को लि. उपस्थित हुए.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. अभ्यावेदक श्री हेमंत कुमार ने आयोग को अवगत कराया कि दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी टी एल) ने दिल्ली ट्रांस्को लि. के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित 28 रिक्तियों को रोज़गार समाचार पत्र में विज्ञापित किया था. परन्तु उक्त परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6 रिक्तियों को घटा कर 4 कर दिया गया तथा सामान्य श्रेणी की रिक्तियों को 13 से बढ़ा कर 15 कर दिया गया. इस वि-आरक्षण और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित रिक्तियों को घटाने के लिए डी टी एल ने तत्कालीन अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को से और DoP&T के दिशानिर्देशों के अनुकूल NCST से मंज़ूरी नहीं ली थी जैसा कि DoP&T के O.M No. 36020/2/2007-Estt.(Res) दिनांक 07/12/2009 के क्रम संख्या पर उल्लेखित है. अभ्यावेदक ने आगे सूचित किया कि दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी टी एल) के इस कदम से वर्ष 2004 तथा 2005 में कुल चयनित 78 उम्मीदवारों की सूची में एक भी अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार को शामिल नहीं हो पाया और 2006 की चयन सूची में अनुमोदित 6 रिक्तियों को घटाकर 4 कर दिया गया. इन कारणों से ही अनुमोदित 80 प्रबंधकों में अनुसूचित जनजाति का केवल एक कर्मचारी कार्यरत है. अभ्यावेदक ने इस मामले में हो रही अनियमितता और नियम उल्लंघन का भी आरोप लगाया. उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि वर्ष 2006 में अनुमोदित और विज्ञापित 28 रिक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची 04.09.2006 को डी टी एल को प्राप्त हो गयी थी. दिल्ली ट्रांस्को ने उपरोक्त चयन प्रक्रिया में विज्ञापित 28 उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने के बाद उत्तरवर्ती 3 और उम्मीदवारों की मांग चरणबद्ध तरीके से 08.09.2006 और 19.09.2006 को की. दिल्ली ट्रांस्को की उत्तरवर्ती 3 और उम्मीदवारों की मांग के अनुरूप भर्ती एजेंसी ने दिल्ली ट्रांस्को को दो अतिरिक्त सूची दिनांक 12.09.2006 तथा 29.09.2006 को चरणबद्ध तरीके से सौंपी. दिल्ली ट्रांस्को के द्वारा चरणबद्ध तरीके से मांगे गए अतरिक्त 3 उम्मीदवारों से दिल्ली ट्रांस्को की कुल मांग अनुमोदित और विज्ञापित 28 से बढ़ कर 31 हो गयी जिसका न तो कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया और न ही इसकी मंजूरी सक्षम प्राधिकारी अर्थात तत्कालीन सीएमडी, डीटीएल से ली गयी. इसके पश्चात वरिष्ठता सूची में इन अतिरिक्त 3 उम्मीदवारों को पहले चयनित 28 चयनित उम्मीदवारों से ऊपर रखा गया है. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गयी की 3 चरण में भेजी गयी मांग और 3 ही चरणों में जारी अनुशंसा सूची की प्रक्रिया और ततपश्चात इस से सम्बंधित वरिष्ठता सूची बनाने की प्रक्रिया में DoP&T दिशानिर्देश O.M.No. 20011/1/2008-Esstt (D) दिनांक 11.11.2010 का उल्लंघन हुआ है. इसके अलावा अभ्यावेदक ने आयोग को यह भी अवगत कराया की दिल्ली ट्रांस्को लि. ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को आयोग में मदद

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हेतु जाने से रोकने के लिए दिनांक 02.01.2017 को एक ऑफिस आर्डर भी निकाला है. उन्होंने आयोग से इस मामले में न्याय का निवेदन किया.

6. आयोग ने विशेष सचिव, पावर विभाग दिल्ली सरकार से अभ्यावेदक की शिकायत पर जानकारी माँगी. इस पर दिल्ली ट्रांस्को के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि दिल्ली ट्रांस्को ने वि-आरक्षण नहीं किया है. भर्ती एजेंसी एनटीपीसी द्वारा विज्ञापित 6 अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के लिए केवल 4 ही योग्य उमीदवार उपलब्ध कराये गए थे. भर्ती एजेंसी द्वारा ही सामान्य श्रेणी के अतरिक्त उम्मीदवारों की सूची भेजे जाने के लिए दिल्ली ट्रांस्को से अनुमति मांगी गयी. चूंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही दिल्ली ट्रांस्को की आवश्यकता 28 उम्मीदवारों से बढ़ कर 40 हो गयी थी इसीलिए दिल्ली ट्रांस्को ने सामान्य श्रेणी के 2 अतरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती एजेंसी से मांग लिया और बची हुई 2 अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भविष्य में भरने के लिए खाली छोड़ दिया. इसके पश्चात् दिल्ली ट्रांस्को ने अपनी अतरिक्त 3 उम्मीदवारों की मांग पुनः भर्ती एजेंसी से की. इन दोनों अतिरिक्त मांगों के पश्चात् कुल मांग विज्ञापित 28 से बढ़कर 31 हो गई. भर्ती एजेंसी द्वारा भेजे गए चयन अंकों के अनुसार ही दिल्ली ट्रांस्को लि. की वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है.

7. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् निम्नलिखित संस्तुतियां की:-

   i. वर्ष 2006 में रिक्त छोड़ी गयी अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तथा उसके बाद की गयी भर्तियों की जानकारी आयोग को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जाय.

   ii. इस प्रकरण में दिल्ली ट्रांस्को लि. में DoP&T द्वारा जारी किये गए वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों के अनुपालन से सम्बंधित समुचित जानकारी DoP&T की टिप्पणी के माध्यम से मंगाएं.

   iii. दिल्ली ट्रांस्को लि. ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को आयोग में मदद हेतु जाने से रोकने के लिए दिनांक 02.01.2017 को जो ऑफिस आर्डर निकाला है उसे तत्काल संशोधित करे तथा इस सम्बन्ध में आयोग को सूचित करें.

इस सम्बन्ध में पावर विभाग, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली ट्रांस्को लि. 15 दिनों के अन्दर आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट/ अंतरिम रिपोर्ट से अवगत कराएं.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. - HK/5/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों का विआरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2018 को आयोग में संपन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

पावर विभाग दिल्ली सरकार के अधिकारी

1. श्री मुकेश प्रसाद, विशेष सचिव
2. श्री सुधीर शर्मा, उप सचिव

दिल्ली ट्रांस्को लि. के अधिकारी

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक, मानव संसाधन
2. श्री अभय नाथ मिश्रा, उप प्रबंधक

अभ्यावेदक

1. श्री हेमंत कुमार